प्रेयक, / 111(2)/18-08(gaugetore)/2015 हो।।१५४। गर्थाल सारित उस्तराखण्ड शासन्। सेवा भ एएख अधिपानाः लोक-जिमाँक विद्याग वहराद्य । लोक निर्माण अनुसाम-१ विषयः— वित्तीय वर्ष 2016—17 में जनपद चमोली के विद्यान समा क्षेत्र कर्णप्रयास के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्ययं की स्वीकृति। जगर्यका जगर्यका विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रकार, लोक निर्माण विमाग, पाँडी द्वारा संसम्न विवरणानुसार उपलब्द कराये गये प्रथम चर्च के आगण्नों, जिनकी कुल लागई 23.00 किमीं। तथा जागत र 348.80 लाख है, पर विमासीय टींंग्एसीं। द्वारा परेक्षणोपरान्त संस्तृत ओसित्यपूर्ण घनराशि र 348.80 साख (रू० तीन करोड़ अडचाटीस ताख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासनीय तथा दित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए याज् वित्तीय वर्ष 2016—17 में व्यय हेर्च प्रति कार्य र 0. 10 लाख अर्थात 64 कार्यो हेतु र 640 लाख (र वालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में एखें जाने की श्री राज्यमाल निम्नादिन शतों के अधीन सहये सीकृति एदान करते हैं उत्तः स्वीकृति के आधार भर विमाग दाल समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों का समयबद्धे रूप से पूर्ण किया जायंगा तदोपरान्त शासनादेश सं० –1764 / Ш(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनाक हैं। जून 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपार्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तृत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्य किया आगणन् में जिल्लेखित दसँ का विश्लेषण विमागं के अवीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित (ti)= दरों को जो दरे शेंडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार माव से ती गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अदीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवस्यक होगा। कार्य पर खतना ही व्यय किया काय जितना की संशिक्त नाम है स्वीकृत नाम से अधिक व्यय एकापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनशांश में बचत है। रही है ता उसका समायोजन विस्तृत आगणन दैयार करते समय किया जायगा। कार्य क्याने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखेते हुए एवं लोक निर्माण विसास द्वारा प्रश्नवित दर्श /विशिष्ट्यों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना आगणन में जिन महों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है आय उसी मद में किया जाय एक मद का इस्सी मह पे व्यव कहापि न किया जाय। स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्ताराखण्ड प्राक्सीरमेन्ट रूल्स 2008 एवं उन्ता के विसर् में, . समय समय पर निर्वत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायगा। इसके अविश्वित बज्रुट येनुसल के निर्देशों का ती अनुपालन किया जायगा। (vii)— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्मत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गाठेल करते समय कड़ाई से अवधालन स्वितिहरूतः क्रिया जायुगा**ः**। उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एनं०पी०की०, मूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफिटेंग आदि (vall) महों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्ययं अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूर्णीगत प्रिट्यय 04 जिला तथा अन्य संडके आयोजनागत 800-अन्य व्यय-05-संडक/गवन/सेत् आदि हेतु भूति अधिग्रहण-00 -24 वृहत निर्माण कार्य में विमागीय आय-व्ययक में प्राविवानित तथा निवर्तन पर रखी गयी एवराशिक्षे विकास जाएंगा।

**मवदाय** (अंग्रिस्सा) गर्व्याह) संख्य आहा से (स्वरेस्स्य) महात्ती) उप स्ववित्र)

स्थित किया जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबस्ता का सम्पूर्ण साहित्व संबदित अधिक अभियन्ता का होना। यर्गमान में व्यय हेतु अवमृत्य की जा हो बन्धांत्र का व्यय 31—03 2017 तक सुनिधेवन है पत्तात में त्या हुई जय हैंगा का जा नहां पत्ताताय का स्थय उन कि उत्तार केल जानस्मा है जायेगा। यदि रवीत्वत कार्य के सापक्ष चाल वित्तीय वर्ष में अतिरित्त बनारात्रे की आवश्यकका होती है जसका व्यय संगत मद्भ में निवर्तन में स्थी गई धनसाब से नियमानुसार किया जायेगा। यदि स्वीकृत किये जा रहे कारों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री असीण सडक संख्यान्तरात स्व है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकता है तो ऐसे कार्य की स्वीव

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016—17 में लोक निर्माण विनाग के अन् सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर गूर्जागत परिवय-04 जिला तथा अन्य सह आयोजनामन 800 - अन्य ह्यस -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 मुझ्त निर्माण कार्य हे नाने र

(3) यह आदेश वित्व अनुमाग-2 के अशासकीय संख्या-362(A)/28XVIII(2)/2016 दिशक

अस्या-२३(९०/ ।।।(८)/16-२६(५४०एव०ए०)/२०१५ चप्दिनाकितः। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवीही हेतु प्रेषित

9. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओब्लाय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहराद्ना। १० फिलांशिकारी, चंद्रोली।

11 मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पीडी गढताल।

12 सम्बंकित मुख्य/वरिष्ठ कोषाविकारी जलसम्बर्ख |

(३) निरंशक राष्ट्रीय सुप्तमा केन्द्र सत्तराखण्ड, हेहरादृन्।

14. वित्ता अनुमान—१, उपराष्ट्रणेड् यासन्।

ंड, सम्बन्धित अधीक्षण, सातवा वृत्त् लोकं विमाण विधान। नोपेश्वरः।

16. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विवास, धरासी।

	2) < 18 - 08((780)(90)(0)) / 2015 李元 (7) 기田	दिनांक अअस्ति,	2018 Bil W.	
		लाबाई (किमीत में)	विगामीय टीogotho	ा लाख र में) पालू विलीय पर्व में अवमुक्त
वसनीत थ	विद्यान तमा क्षेत्र-क्रणंप्रयामं के पा के अन्तरांत आदिवदी नीटी के खेत गदेरे ने से पि तक भेटर भाग का नव चेरण)	8.00	वास अनुमोदित	की जा रही वनराधा। 0.10
3576	वस्या) वस्या वस्य वस्या वस्य वस्य वस्य वस्य वस्य वस्य वस्य वस्य	3.00		
उ जनपद वमोली के हि	धान सभा क्षेत्र कर्णकार क्ष	7.00	30.00	0.10
वर्षा) च जनपट त्रमोली के हर	प्रथम कार्या (प्रथम		95.20	0.10
नागं के नगती से इस्ट जवनिर्माण कार्य। (प्रथम	प्रीप्सल तक मोहर मार्च का चरण)	5.00	86,00	0.10
	ज ।	23.00	348.80	0.40
			रिख्ल र नालीस स	जाद मान्त्र)
			(ए०एस० प्राप्तती) उप सचिव	